

कार्यपालिक सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के वित्त पर राज्य के वित्तीय निष्पादन का मुख्यतः तथ्यपरक आकलन प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन का उद्देश्य वित्तीय आँकड़ों के लेखापरीक्षा के विश्लेषण पर आधारित तथ्यों/सामाग्री, राज्य शासन एवं राज्य विधान मंडल को समय पर उपलब्ध कराना है। विश्लेषण को मूर्तरूप देने के लिए राज्य शासन द्वारा राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ आर बी एम अधिनियम), बजट लेखे, राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण, तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसित मानकों एवं शासन के विभिन्न विभागों एवं संगठनों से प्राप्त किये गये वित्तीय आँकड़ों के निर्धारित लक्ष्यों से उपलब्धियों की तुलना करने का प्रयास किया गया है।

प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन के मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य शासन के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित विश्लेषण युक्त समीक्षा प्रदान करता है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में तैयार किया गया है।

पहला अध्याय:- राज्य शासन के वित्त, वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं सरकार के 31 मार्च 2013 के राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है। बजट के बाहर के रास्ते से राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय निधियों के सीधे स्थानांतरण का संक्षिप्त लेखा प्रस्तुत करने के अतिरिक्त यह उधार की पद्धति की प्रवृत्तियों पर अन्तर्दृष्टि प्रस्तुत करता है। इसमें पुंजीगत व्यय एवं सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिये राजकोषीय प्राथमिकता की पर्याप्तता का भी आकलन है।

दूसरा अध्याय:- वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण, विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं अनुदानवार विनियोगों का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है।

तीसरा अध्याय:- वित्तीय प्रतिवेदन, प्रतिवेदनों के विभिन्न आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों पर सरकार द्वारा अनुपालन की सूची है। प्रतिवेदन में निष्कर्षों की पुष्टि हेतु अनेक स्रोतों से मिलान किए हुए अतिरिक्त आंकड़े भी समाहित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा का निष्कर्ष

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा – राज्य ने राजस्व आधिक्य बनाये रखा तथा राजकोषीय कमी को जी एस डी पी के सापेक्ष रखा जो तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण तथा राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन द्वारा बनाये गये सीमा के अंदर था। मुख्य मानकों की तुलना में वर्ष 2012-13 में पिछले वर्ष के सापेक्ष राज्य की राजकोषीय स्थिति घटी है। जबकि पिछले वर्ष राजस्व आधिक्य घटा था, राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई थी। राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण वर्ष 2011-12 के प्राथमिक आधिक्य वर्ष 2012-13 में प्राथमिक कमी में बदल गया। यद्यपि राजस्व तथा राजकोषीय घाटा संबंधी

उपलब्धि एफ आर वी एम अधिनियम तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा तय किये गये लक्ष्य से बेहतर था। एफ आर बी एम खुलासे में किये गये 14.72 प्रतिशत प्रक्षेपण के विरुद्ध इस वर्ष के अंत तक राजकोषीय दायित्व जी एस डी पी के 12.03 प्रतिशत रहा।

संघ से राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे निधि हस्तांतरण

केन्द्र सरकार ने राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय योजना को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2012-13 में अधिक परिमाण में निधियों (₹ 4,497.58 करोड़) का सीधे अंतरण किया। इन निधियों का प्रवाह राज्य का बजट /राज्य कोषालय प्रणाली के माध्यम से नहीं हुआ और इसलिए राज्य वित्त लेखे में इसे उल्लेखित नहीं किया गया है।

राजस्व प्राप्तियाँ:

पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 29,578 करोड़) में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि स्वयं के कर राजस्व (22 प्रतिशत), करेत्तर राजस्व (14 प्रतिशत) तथा संघ कर/शुल्क में राज्य का हिस्सा (14 प्रतिशत) के कारण हुआ। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान में एक प्रतिशत (₹ 66 करोड़) की कमी हुई।

राजस्व व्यय:

राजस्व व्यय वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 26,972 करोड़ था जिसमें ₹ 14,532 करोड़ (54 प्रतिशत) आयोगनेत्तर घटकों पर तथा ₹ 12,440 करोड़ (46 प्रतिशत) आयोजना घटकों पर था।

पूँजीगत व्यय की प्राथमिकता:

इस वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 15 प्रतिशत हुआ और पिछले वर्ष की तुलना में यह 21 प्रतिशत बढ़ा।

सरकारी निवेशों और ऋणों एवं अग्रिमों की समीक्षा:

वर्ष के दौरान संविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी और बकाया ऋण और अग्रिमों में सरकारी निवेश का औसत प्रतिफल क्रमशः 0.11 तथा 0.44 प्रतिशत रहा जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार ने अपनी ऋणों पर 6.34 प्रतिशत का न्यूनतम ब्याज दिया। स्पष्टतः यह एक अवांछनीय प्रस्ताव था।

वित्तीय प्रबंधन और बजटीय नियंत्रण:

वर्ष 2012-13 के दौरान कुल अनुदानों तथा विनियोगों के ₹ 43,814.48 करोड़ के विरुद्ध ₹ 35,154.55 करोड़ व्यय किया गया, परिणामतः ₹ 8,660.89 करोड़ की बचत हुई जिससे राजस्व अनुभाग के अधिन चार अनुदानों के ₹ 0.96 करोड़ के अधिक व्यय को समायोजित किया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन उपरोक्त आधिक्य का नियमितीकरण कराये जाने की आवश्यकता है।

37 अनुदानों तथा एक विनयोग से संबंधित कुल 44 प्रकरणों में ₹ 10 करोड़ से अधिक का तथा कुल प्रावधान से 20 प्रतिशत से भी अधिक बचत के उदाहरण थे। इसमें से 17 अनुदानों के अधीन (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक) ₹ 4,867.16 करोड़, बचत शामिल है। 2012-13 के दौरान अनुदानों में 51 प्रतिशत तक निरंतर बचत थे। चालू वर्ष के दौरान, व्यय आधिक्य, अनावश्यक अत्यधिक पूरक प्रावधान, सारभूत समर्पण, संभावित बचत का समर्पण न करने को एवं वित्त वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता के भी उदाहरण थे।

साधारण प्राप्ति देयक:

वास्तविक आवश्यकता के बिना ही बजट आबंटन के अधार पर ₹ 2,260 करोड़ की राशि एस आर देयक के द्वारा आहरित कर क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तान्तरित किया गया। एस आर देयक के जाँच में देखा गया कि इस तरह से आहरित की गई राशि को अंत में सवितरण नहीं किया गया हालांकि अंतिम व्यय के रूप में बुक किया गया तथा ₹ 186 करोड़ की राशि विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के बैंक खाते में पड़ी हुई थी।

वित्तीय प्रतिवेदन:

विभिन्न अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने में विलम्ब किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत तक विभिन्न विभागों से संबंधित एक से 25 वर्ष के मध्य के ₹ 15.81 करोड़ हानि एवं गबन के 1586 प्रकरण अपलेखन/ नियमितिकरण हेतु लंबित थे।

विविध लोक निर्माण अग्रिम:

टेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, विभागीय कर्मचारियों तथा विभाग/संभाग के विरुद्ध ₹ 133.01 करोड़ के विविध लोक निर्माण अग्रिम 31 मार्च 2013 की स्थिति में लंबित था।